



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 12, Issue 1, January 2023

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 8.118

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के फलस्वरूप परिवर्तित भू-उपयोग प्रतिरूप का भौगोलिक अध्ययन (हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के विशेष संदर्भ में)

ध्रुव पूनिया : शोधार्थी, भूगोल विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरु (राजस्थान)

डॉ. एम. एम. शेख : सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चूरु (राजस्थान)

सारांश :

भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है तथा पुरातन काल से ही इस देश में कृषि का महत्व सर्वाधिक रहा है। कृषि की महत्ता को भारत के संदर्भ में इस तथ्य के आधार पर भी भली-भांति समझा जा सकता है की देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 42 प्रतिशत भू-भाग पर कृषि कार्य किया जाता है तथा देश की कुल आबादी का लगभग 42 प्रतिशत हिस्सा कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों में संलग्न पाया जाता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण आधार है। हरित क्रान्ति के फलस्वरूप देश में कृषि क्षेत्र में तकनीकी एवं प्राविधिकी को बढ़ावा मिला जिसके फलस्वरूप कृषि में यंत्रीकरण के उपयोग में वृद्धि हुई परंतु वर्तमान समय तक भी देश के अधिकांश हिस्से पूर्णतया तकनीक से नहीं जुड़ सके हैं तथा देश के अधिकांश राज्यों में आज भी परंपरागत तौर-तरीकों से कृषि की जा रही है।

भारतीय कृषि के संदर्भ में दुसरी महत्वपूर्ण बात यह है की देश में नियोजित कृषि का अभाव पाया जाता है तथा मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण देश में सिंचाई का महत्व और अधिक बढ़ा जाता है विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में सिंचाई के बिना कृषि विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य के उत्तरी भाग में स्थित हनुमानगढ़ जिला राज्य के समस्त 33 जिलों में अपना विशिष्ट महत्व रखता है तथा नहरी तंत्र के आगमन के पश्चात क्षेत्र के कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में जिले की नोहर तहसील में सिंचाई सुविधाओं के आगमन के पश्चात कृषि भूमि उपयोग प्रतिरूप में आए परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मूल बिंदु : भूमि उपयोग प्रतिरूप, हरित क्रान्ति, भूमि संसाधन, नोहर तहसील

परिचय :

भूमि उपयोग का सम्बन्ध साधनों के अध्ययन मात्र से नहीं है। इसका अर्थ व्यापक है। भूमि शब्द के अर्थ पर प्रायः सहमति न होने के कारण ही इसके लिये भूमि संसाधन शब्द को अधिक सार्थक माना गया है। इससे भूमि के सामान्य अर्थ को स्पष्ट करना सरल हो जाता है और उसे अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। भूमि संसाधन को धरातल की मौलिक दशाओं से प्राप्त साधनों और मानव कल्याण के लिये उसकी सन्निहित विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसी प्रकार भूमि सांसाधन धरातल पर मनुष्य द्वारा किये गये सभी विकासों को अपने में समाहित करता है। अब यह संकुचित अर्थ का प्रयोग नहीं रह गया है जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को ही अपने अन्दर ग्रहण करता हो। भूगोल की मुख्य संकल्पना भूमि से ही जुड़ी हुई है। भूमि पर मानव द्वारा विभिन्न क्रिया-कलाप किये जाते हैं तथा मानव भूमि का उपयोग अपने विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सदियों से अनेक रूपों में करता आ रहा है और करता रहेगा। भूमि के साथ भूमि-उपयोग की बात कही जाती है। यद्यपि उपयोग से सम्बन्धित ये सभी शब्द यथा प्रयोग, उपयोग और भूमि संसाधन-उपयोग प्रायः एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किये जाते हैं परन्तु इनके बीच सूक्ष्म अन्तर व्याप्त है। ये शब्द क्रमशः अंग्रेजी के Land & Use, Land Utilization और Land Resource Utilization के हिन्दी रूपान्तर हैं। अर्थशास्त्री एवं भूगोलविद् इनकी अलग-अलग व्याख्याएँ प्रस्तुत करते हैं। जब भूमि का उपयोग मानव अपनी आवश्यकतानुसार कर रहा है तो उस भू-भाग के लिये भूमि उपयोग Land Utilization शब्द का प्रयोग उचित होगा। अर्थात् भूमि-उपयोग में भू-भाग का प्राकृतिक स्वरूप क्षीण हो जाता है तथा मानवीय क्रियाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है तभी इसे भूमि उपयोग की संज्ञा देते हैं।

जीविकोपार्जन की प्रक्रिया में आखेट, पशुपालन एवं वन्य संसाधन पर दीर्घकाल तक निर्भरता के उपरान्त मनुष्य धीरे-धीरे कृषि विधियों को अपनाने लगा और कालान्तर में वह इन्हीं के द्वारा जीविकोपार्जन करने लगा। आज मानव के भरण पोषण में कृषि का प्रमुख योगदान है। इसी पर आधारित अन्य व्यवसाय भी मानवीय क्रियाओं से जुड़कर उसकी आधुनिक सभ्यता के प्रतीक बन गये हैं। कृषि के प्रचलन ने मनुष्य की विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति की है। कृषि कार्य से उसके यायावर जीवन में स्थायित्व आया, उसे गृह निर्माण करना पड़ा तथा कृषि में पशुशक्ति का सहारा लेना पड़ा। इस प्रकार धीरे-धीरे सभ्यता का विकास हुआ एवं मनुष्य ने पशुचारण युग से वर्तमान अन्तरिक्ष युग में प्रवेश किया।

उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध-पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य है—

- नोहर तहसील में भूमि-उपयोग के वितरण प्रारूप का विश्लेषण करना
- तहसील में कृषि योग्य भूमि का विश्लेषण करना
- तहसील में कृषि अयोग्य भूमि का विश्लेषण करना
- तहसील में जोत रहित भूमि का विश्लेषण करना

आंकड़ों के स्रोत एवं विधितंत्र :

प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक आंकड़ों की सहायता से तैयार किया गया है। इस हेतु आंकड़ों का संकलन जिला सांख्यिकी रूपरेखा, हनुमानगढ़-2021, ब्लॉक सांख्यिकी रूपरेखा-नोहर, 2021 तथा विभिन्न अन्य सरकारी रैपोर्ट्स से आंकड़ों का संग्रहण करके किया गया है। कुछ नवीन आंकड़ों के संग्रहण हेतु विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों की सहायता भी ली गयी है।

विषय से संबंधित महत्वपूर्ण साहित्यो की समीक्षा :

1. Avinash Chandra Sharma, Vandana Sharma and B. L. Teli (2019) इस शोध पत्र में लेखक द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले की तहसील महाराजगंज में भूमि उपयोग एवं कृषि हेतु उपलब्ध भूमि का विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।
2. Ramya, M and Lancelet, T.S (2019) प्रस्तुत शोध पत्र में लेख द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन एवं कृषि पारिस्थितिकी पर इसके पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन चावल की खेती के विशेष संदर्भ में किया गया है।
3. मास्ट्रसन (2012) ने परागवे में शोध से निष्कर्ष कि छोटे आकार के खेतों की प्रति हैक्टर आय बड़े खेतों से अधिक होती है क्योंकि खेतों का खेत मालिकों द्वारा रख रखाव अधिक दक्षता से होता है।

तहसील में भूमि उपयोग प्रारूप :

नोहर तहसील में भूमि उपयोग के विवरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है, तहसील में वर्तमान समय में भूमि उपयोग के वितरण प्रारूप को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत विश्लेषित किया जा सकता है—

कृषि अयोग्य भूमि :

कृषि अयोग्य भूमि से तात्पर्य ऐसी भूमिसे होता है जिस पर कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है, अतएव इस प्रकार की भूमि कृषि कार्यों हेतु उपयुक्त नहीं होती है। इस प्रकार की भूमि को दो वर्गों में बांटा जाता है।

- कृषि के अतिरिक्त काम में ली गयी भूमि
- ऊसर भूमि

अध्ययन क्षेत्र नोहर तहसील में कृषि अयोग्य भूमि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है—

कृषि के अतिरिक्त काम में ली गयी भूमि :

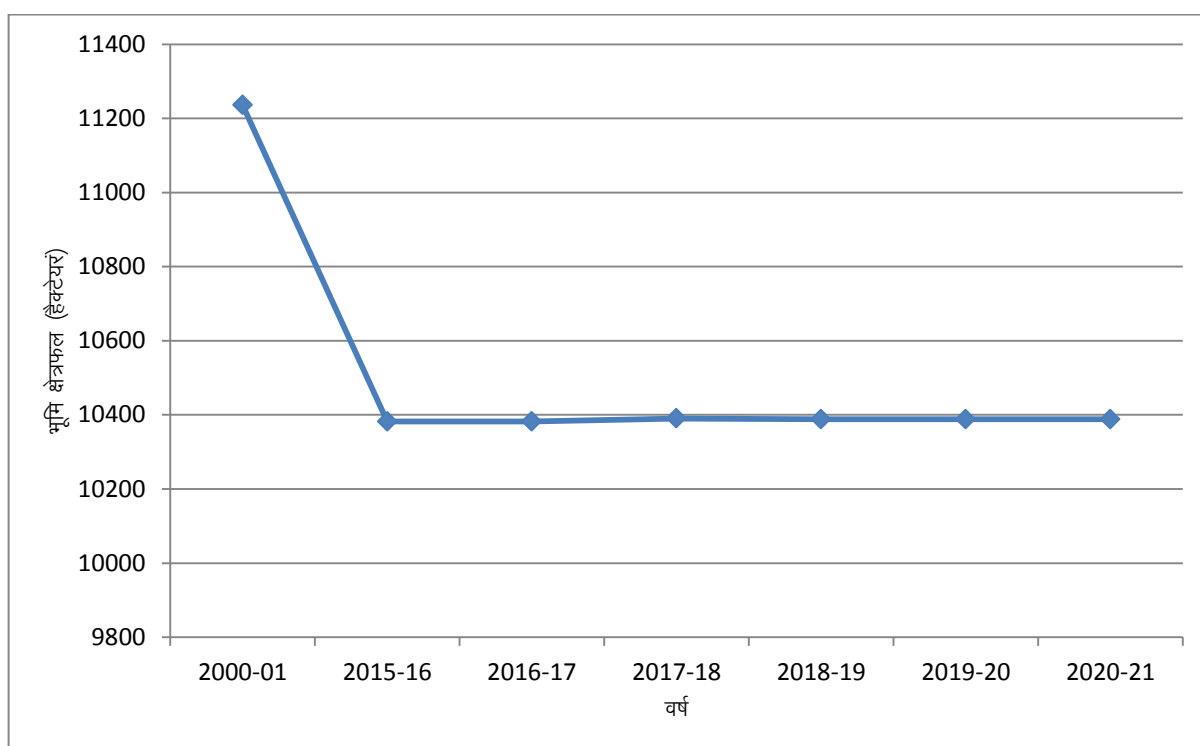
इस वर्ग के अंतर्गत उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जो कृषि कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों हेतु उपयोग में ली जाती है, यथा सड़क मार्ग, रेल मार्ग, अन्य यातायात मार्ग, उद्योगों की स्थापना, रिहायशी इलाके एवं आवासीय कॉलोनियाँ आदि। निम्न तालिका में तहसील में वर्ष 2000—01 से 2020—21 तक के कृषि के अतिरिक्त काम में ली गयी भूमि के आंकड़ों को दर्शाया गया है। अध्ययन क्षेत्र नोहर तहसील में कृषि के अतिरिक्त काम में ली गयी भूमि के विवरण को देखें तो तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की तहसील में इस श्रेणी की भूमि का क्षेत्रफल विभिन्न वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न पाया गया है। अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2000—01 में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल 11236 हेक्टेयर पाया गया था, जबकि आगामी वर्षों में इस प्रकार की भूमि के क्षेत्रफल में तहसील में गिरावट देखने को मिलती है। तहसील में वर्ष 2015—16 तथा वर्ष 2016—17 में कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयुक्त की गयी भूमि का कुल क्षेत्रफल 10382 हेक्टेयर पाया गया है, जबकि अगले वर्षों में इस क्षेत्रफल में पुनः मामूली वृद्धि देखने को मिलती है। वर्ष 2017—18 से वर्ष 2020—21 तक की अवधि के दौरान कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयुक्त की गयी भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल वर्ष 2017—18 में पाया गया है। इस वर्ष नोहर तहसील में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल 10390 हेक्टेयर पाया गया है जो की वर्ष 2000—01 के पश्चात सर्वाधिक रहा। जबकि आगामी वर्षों के आंकड़ों को देखें तो तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की नोहर तहसील में वर्ष 2018—19 से लेकर वर्ष 2020—21 तक कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उपयोग ली गयी भूमि का क्षेत्रफल समान रहा है। इस अवधि में तहसील में यह क्षेत्रफल 10388 हेक्टेयर पाया गया है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है की अध्ययन क्षेत्र नोहर तहसील में कृषि के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य कार्यों में प्रयुक्त की गयी भूमि के कुल क्षेत्रफल में विभिन्न वर्षों के अंतराल में परिवर्तन देखने को मिलता है।

तालिका संख्या 01 : नोहर तहसील में भूमि उपयोग (हैक्टेयर में)

वर्ष	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (ग्राम पत्रों के अनुसार)	जंगलात	कृषि अयोग्य भूमि		
			कृषि के अतिरिक्त काम में ली गई भूमि	कृषि अयोग्य ऊसर भूमि	योग
2000-01	246247	4849	11236	0	11236
2015-16	246247	4414	10382	0	10382
2016-17	246247	4414	10382	0	10382
2017-18	246247	4414	10390	0	10390
2018-19	246247	4469	10388	0	10388
2019-20	246247	4469	10388	0	10388
2020-21	246247	4469	10388	0	10388

स्रोत : ब्लाक सांख्यिकी रूपरेखा, नोहर-2005, 2021

आरेख संख्या 01 : नोहर तहसील में भूमि उपयोग (हैक्टेयर में)



कृषि अयोग्य अथवा ऊसर भूमि :

ऊसर भूमि के अंतर्गत उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जो कृषि कार्य करने हेतु उपयोगी नहीं रहती है। अध्ययन क्षेत्र नोहर तहसील में इस प्रकार की कृषि अयोग्य अथवा ऊसर भूमि के विवरण को देखें तो तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की नोहर तहसील में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल शून्य पाया गया है। नोहर तहसील में ऊसर भूमि का क्षेत्रफल शून्य पाये जाने के पीछे का कारण यहा विकसित नहर प्रणाली को माना जा सकता है। नहरी तंत्र के फलस्वरूप तहसील में कृषि का उत्तरोत्तर विकास हुआ है जिसने कृषि स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किए हैं।

जोत रहित भूमि :

भूमि का वह प्रकार जिस पर जुताई अथवा कृषि कार्य किया जाना संभव नहीं होता है इस प्रकार की भूमि को जोत रहित भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। सामान्यतया इस प्रकार की भूमि के अंतर्गत वृक्षों के झुंडों, स्थायी चारागाहों अथवा गौचर भूमि तथा बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है। सामान्यतया पड़त भूमि को जोत रहित भूमि से अलग रखा जाता है तथा पड़त भूमि के क्षेत्रफल को जोत रहित भूमि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में भी जोत रहित भूमि तथा पड़त भूमि के विवरण को अलग-अलग वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन क्षेत्र नोहर तहसील में जोत रहित तथा पड़त भूमि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है। जिसका बिन्दुवार विस्तृत विवरण निम्नलिखित है—

स्थायी चारागाह व अन्य गौचर भूमि :

इस प्रकार की भूमि का अधिकतर भाग ग्राम पंचायत अथवा सरकार के स्वामित्व के अधीन होता है तथा बहुत काम भू-भाग पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। इस प्रकार की भूमि के अंतर्गत जितनी भूमि पर ग्राम पंचायत अथवा सरकार का आधिपत्य होता है उस भूमि को पसांझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। नोहर तहसील में इस प्रकार की भूमि के क्षेत्रफल के विवरण को देखें तो तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2000-01 से वर्ष 2020-21 तक के वर्षों में स्थायी चारागाह तथा अन्य गौचर भूमि के क्षेत्रफल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तहसील में इस प्रकार की भूमि का कुल क्षेत्रफल वर्ष 2000-01 में 1999 हेक्टेयर पाया गया था जबकि अगले वर्षों में इस भूमि के क्षेत्रफल में मामूली गिरावट देखने को मिलती है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 तक तहसील में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल समान ही पाया गया है जो की 1836 हेक्टेयर है।

वृक्षों के झुंड तथा बाग :

इस भूमि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तरु-फसलों व उपवनों के अंतर्गत स्थित भूमि को सम्मिलित किया जाता है। यह भूमि निबल अथवा सकल बोये गए कुल भूमि के क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं होता है बल्कि उससे अलग होता है। अर्थात् समान्य शब्दों में कहे तो इस भूमि के अंतर्गत भूमि के उस भू-भाग की शामिल किया जाता है उद्यान व फलदार वृक्ष स्थित होते हैं, एवं इस प्रकार की भूमि पर अधिकांश रूप से निजी व्यक्तियों का स्वामित्व पाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र नोहर तहसील में इस प्रकार की भूमि के क्षेत्रफल का विस्तार देखें तो तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की तहसील में विभिन्न वर्षों के दौरान वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल शून्य पाया गया है।

कृषि योग्य बंजर भूमि :

इस प्रकार की भूमि जो कुछ वर्षों पहले तक तो कृषि कार्य हेतु उपयोग में ली जाती थी परंतु विगत पाँच-छः वर्षों से यह परती भूमि के रूप में पड़ी रहती है तथा इसे कृषि कार्य हेतु उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, वस्तुतः इसी प्रकार की भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार की भूमि के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है की वर्तमान समय में भले ही इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किए जा रहें हों, परंतु विभिन्न प्रकार की तकनीकी के उपयोग से इस प्रकार की भूमि को पुनः कृषि योग्य बनाया जा सकता है तथा इस पर पुनः कृषि कार्य कर फसलोत्पादन किया जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र नोहर तहसील में कृषि योग्य बंजर भूमि के विस्तार को देखें तो तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की तहसील में वर्ष 2000-01 से वर्ष 2019-20 तक इस प्रकार की भूमि के वितरण में विषमता पायी गयी है। वर्ष 2000-01 में तहसील में कृषि योग्य बंजर भूमि का कुल क्षेत्रफल 110 हेक्टेयर पाया गया था, जबकि आगामी वर्षों में इस भूमि के क्षेत्रफल में कमी दिखाई देती है। कृषि योग्य बंजर भूमि के क्षेत्रफल में कमी दिखाई देना तहसील में कृषि के विकास को इंगित करता है तथा क्षेत्र में कृषि तकनीकी के उन्नत स्तर को दर्शाता है। वर्ष 2015-16 में तहसील में इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल घटकर 100 हेक्टेयर पाया गया था जबकि अगले ही वर्ष यह क्षेत्रफल और कम हुआ। वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में नोहर तहसील में कृषि योग्य बंजर भूमि का क्षेत्रफल 95 हेक्टेयर पाया गया है। आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है की तहसील में अगले वर्षों यथा वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 में इस्फ़ार की भूमि के क्षेत्रफल में और कमी देखने को मिलती है। तहसील में वर्ष 2018-19 कृषि योग्य बंजर भूमि का कुल क्षेत्रफल 73 हेक्टेयर पाया गया था जो की अगले वर्ष 2019-20 में घटकर और कम हो गया। नोहर तहसील में वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार कृषि योग्य बंजर भूमि का कुल क्षेत्रफल 69 हेक्टेयर पाया गया है जो की वर्ष 2000-01 की तुलना में काफी कम है। इस प्रकार आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात सांरांश के आधार पर कहा जा सकता है की नोहर तहसील में कृषि तकनीकी का

विकास उत्तरोत्तर हो रहा है जिस कारण से तहसील में कृषि भूमि के क्षेत्रफल में निरंतर वृद्धि हुई है एवं बंजर भूमि के क्षेत्रफल में गिरावट देखने को मिलती है।

परती अथवा पड़त भूमि :

इस प्रकार की भूमि जिसकी उत्पादन क्षमता निरंतर कृषि कार्य करते रहने से कम होने लग जाती है, तथा इस स्थिति में कृषक अपनी जोत भूमि में से कुछ समय अवधि के लिए इस प्रकार की भूमि पर कृषि कार्य करना छोड़ देता है तथा इस भूमि पर कृषि कार्य हेतु जुताई नहीं करता है। यह भूमि एक कृषि वर्ष अथवा पाँच वर्ष से कम समय तक गैर कृषि भूमि रहती है, लंबे समय तक कृषि कार्य नहीं होने से यह भूमि बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती है, एवं बाद में विभिन्न उर्वरकों के उपयोग से तथा जुताई के माध्यम से इस भूमि को पुनः उपयोग में लाया जाकर इसकी उपजाऊ क्षमता पुनः बढ़ाई जा सकती है तथा इस पर कृषि कार्य पुनः किया जा सकता है। यहाँ यह ज्ञात रहे की परती भूमि को अगर पाँच वर्षों से अधिक के अंतराल के लिए छोड़ा जाये तो वह कृषि योग्य बंजर अथवा व्यर्थ भूमि के अंतर्गत सम्मिलित की जाने लगती है जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। गैर-कृषि हेतु छोड़ी गयी समय अवधि के आधार पर परती भूमि को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है—

- वर्तमान अथवा चालू परती भूमि
- पुरातन अथवा अन्य परती भूमि

नोहर तहसील में उपरोक्त बिन्दुओं के अंतर्गत परती भूमि का विवरण अधोलिखित है—

वर्तमान अथवा चालू परती भूमि :

वर्तमान अथवा चालू परती भूमि के अंतर्गत उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जिसको कृषक द्वारा एक कृषि वर्ष के अंतराल हेतु परती भूमि के रूप में छोड़ा जाता है, तथा अगले कृषि वर्ष में इस भूमि का उपयोग पुनः कृषि कार्यों हेतु किया जाने लगता है। अध्ययन क्षेत्र नोहर तहसील में चालू परती भूमि के क्षेत्रफल के विवरण को देखें तो निम्न तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की तहसील में इस प्रकार की भूमि के क्षेत्रफल में बीतते वर्षों के साथ वृद्धि हुई है। तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की तहसील में वर्ष 2000-01 में इस भूमि का क्षेत्रफल 3566 हेक्टेयर पाया गया था जबकि आगामी वर्षों में इसमें निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है। वर्ष 2015-16 में नोहर तहसील में चालू परती भूमि का कुल क्षेत्रफल 3970 हेक्टेयर पाया गया है जबकि अगले ही वर्ष में तहसील में इसमें गिरावट देखने को मिलती है, वर्ष 2016-17 में तहसील में यह क्षेत्रफल घटकर 3127 हेक्टेयर पाया गया है। इसी प्रकार तहसील में अगले वर्षों में चालू परती भूमि के

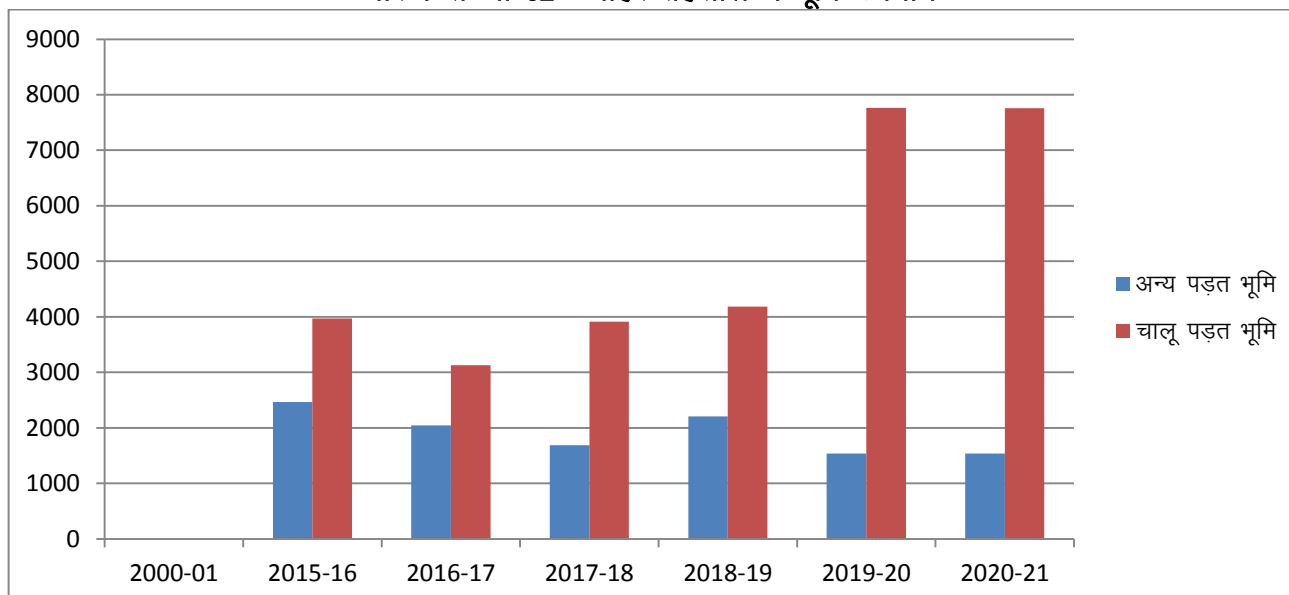
क्षेत्रफल को देखें तो तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की वर्ष 2017–18 में तहसील में यह क्षेत्रफल 3914 हेक्टेयर पाया गया है जबकि वर्ष 2018–19 में यह बढ़कर 4188 हेक्टेयर पाया गया है। इसी प्रकार अगले वर्षों में भी तहसील में चालू परती भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि देखने को मिलती है, तहसील में वर्ष 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 में चालू परती भूमि के अंतर्गत भूमि का क्षेत्रफल क्रमशः 7765 तथा 7760 हेक्टेयर पाया गया है।

तालिका संख्या 02 : नोहर तहसील में भूमि उपयोग (हेक्टेयर में)

वर्ष	जोत रहित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त)			पड़त भूमि	
	स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि	वृक्षों के झुंड तथा बाग	बंजर (कृषि योग्य भूमि)	अन्य पड़त भूमि	चालू पड़त भूमि
2000–01	1999	0	110	3032	3566
2015–16	1836	0	100	2463	3970
2016–17	1836	0	95	2047	3127
2017–18	1836	0	95	1687	3914
2018–19	1836	0	73	2209	4181
2019–20	1836	0	69	1538	7765
2020–21	1836	0	69	1536	7760

स्रोत : ब्लाक सांख्यिकी रूपरेखा, नोहर–2005, 2021

आरेख संख्या 02 : नोहर तहसील में भूमि उपयोग



पुरातन अथवा अन्य परती भूमि :

इस वर्ग के अंतर्गत उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जिसे कृषक के द्वारा उपजाऊ क्षमता बढ़ाने हेतु एक वर्ष से अधिक परंतु पाँच वर्षों से कम समय के अंतराल के लिए कृषि कार्यों से मुक्त छोड़ा जाता है। नोहर तहसील में इस प्रकार की भूमि के वितरण को देखें तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ज्ञात होता है की तहसील में पुरातन भूमि के क्षेत्रफल में निरंतर कमी आई है। नोहर तहसील में वर्ष 2000-01 में इस प्रकार की भूमि का कुल क्षेत्रफल 3032 हेक्टेयर पाया गया था जो की अगले वर्षों में घाटे-घटते वर्ष 2020-21 तक मात्र 1536 हेक्टेयर रह गया। उपरोक्त तालिका में तहसील में विभिन्न वर्षों में पुरातन परती भूमि के क्षेत्रफल के विवरण को दर्शाया गया है। तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की तहसील में वर्ष 2015-16 में पुरातन परती भूमि का कुल क्षेत्रफल 2463 हेक्टेयर पाया गया था, जबकि वर्ष 2016-17 में तहसील में यह घटकर 2047 हेक्टेयर पाया गया है। इसी प्रकार तहसील में वर्ष 2017-18 में पुरातन परती भूमि का कुल क्षेत्रफल 1687 हेक्टेयर पाया गया है। आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है की नोहर तहसील में वर्ष 2018-19 में इस प्रकार की भूमि में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि देखने को मिलती है, इस वर्ष तहसील में इस प्रकार की भूमि का कुल क्षेत्रफल 2209 हेक्टेयर पाया गया है। आगामी वर्षों के आंकड़ों को देखें तो तालिका के अध्ययन से ज्ञात होता है की नोहर तहसील में वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में अन्य परती भूमि का कुल क्षेत्रफल क्रमशः 1538 तथा 1536 हेक्टेयर पाया गया है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है की अध्ययन क्षेत्र नोहर तहसील में पुरातन परती भूमि के क्षेत्रफल में निरंतर कमी दृष्टिगत होती है जो इस बात की पुष्टि करता है की तहसील में कृषि क्षेत्र में विभिन्न तकनीकों तथा विभिन्न रसायनों का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है फलस्वरूप कम समय में ही भूमि को उर्वरकों की सहायता से कृषि योग्य बना लिया जाता है।

निष्कर्ष :

उपरोक्त अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नोहर तहसील में समय के अनुसार भूमि उपयोग प्रारूप में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। जिले में वर्ष 2000-01 में भूमि उपयोग प्रारूप वर्तमान समय से भिन्न था। इसके पश्चात विभिन्न वर्षों में तहसील में भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इस हेतु तहसील में नहरी तंत्र के विकास को उत्तरदायी कहा जा सकता है। बढ़ते नहरी विकास के फलस्वरूप तहसील में कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिला है। फलस्वरूप तहसील में कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है एवं बंजर भूमि के क्षेत्रफल में ह्रास हुआ है।



References:

1. Gole, Uma & S.K. Mustak (2009), "Impact of Irrigation facilities on Agricultural Pattern in Seonath Basin", Uttar Bharat Bhoogol Patrika, Vol. 41, No. 1, pp. 127 - 130
2. Kothari, S., (1999), "Agricultural land Use and Population: A Geographical Analysis", Shiva Publishers Distributors Udaipur.
3. Nanda, Aadil Manzoor, et al, (2013), "Quantifying Land use/ Land cover Dynamics in Sandran Watershed part of Jhelum Basin in western Himalayas, Kashmir, India", National Geographical Journal of India, Vol. 59 (4), pp. 377-386, ISSN : 0027-9374.
4. Singh, Sunita, (2011), "Land Resource Utilization for Agriculture in Rohtas District Bihar", National Geographical Journal of India, Vol. 57, Pt. 2, pp. 81-92, ISSN-0027-9374.
5. Venzetti, C., (1972), "Land Use and Natural Vegetation", International Geography, Edited By W. Petre Adams and Fredrick, M. Helleiner, Toronto, University Press, pp. 106.



INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
Impact Factor: 8.118



ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 **9940 572 462**  **6381 907 438**  **ijirset@gmail.com**



www.ijirset.com

Scan to save the contact details